न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री मती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 117 / 2022

प्रार्थीगण — बनाम — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1. रामचन्द पुत्र उदाराम जाति घांची निवासी सिसरवादा तहसील सोजत जिला पाली राज हाल निवासी — # 10 Thanisandra Main Road Vidyasgar Narayanaswarmy Layout Saraypalya & Bangalore Karnataka 560077
2. शिवलाल पुत्र उदयराम जाति घांची निवासी सिसरवादा तहसील सोजत हाल निवासी रजत विहार पाली कॉलेज रोड, पाली, जिला पाली, राज.
3. हिम्मताराम पुत्र उम्मेदराम के कायम मुकाम :—
   3/1 सुरेश कुमार पुत्र स्वर्गीय हिम्मतारामजी, जाति घांची निवासी —सिसरवादा, तहसील सोजत जिला पाली, राज. At Present #91 2nd Main road 1st Floor Jabbar Block P.G. Halli Bangalore Malleswaram Bangalore Karnataka 560003 UID No - 7823 9116-6652-6784
   3/2 दिनेश एच पुत्र स्वर्गीय हिम्मतारामजी, जाति — घांची, निवासी सिसरवादा, तहसील —सोजत, जिला — पाली, राज. At Present-#91 3rd Main Jabbar Block Vyalikava Bangalore North Malleswaram Karnataka-560003 UID No- 2186-3247-9985
   3/3 श्रीमती संतोष पत्नी स्वर्गीय रमेश एच. जाति घांची निवासी सिसरवादा तहसील सोजत जिला पाली राज. At present # 859 61 Cross 1 stage near Police Station kumaraswamy layout Bangalore South Bangalore J-P- Nagar Karnataka - 560078 UID No- 5374 -4776-3772
   3/4. जवरीलाल पुत्र स्वर्गीय हिम्मतारामजी जाति घांची वर्ष निवासी सिसरवादा तहसील सोजत जिला पाली, At Present #06 Kidigannammna Badavane Hebbal Mysore Karnataka-570016 UID No- 6014-4750-8313
4. पवन एच पुत्र हीरालाल यू जाति घांची निवासी सिसरवादा तह0 सोजत जिला पाली हाल निवासी— 313 नया गांव रोड़ रजत विवाह कॉलोनी पाली जिला पाली राज0
5. हीना एच पुत्री हीरालाल यू जाति घांची निवासी सिसरवादा तह0 सोजत जिला पाली हाल निवासी—313 नया गांव रोड़ रजत विवाह कॉलोनी पाली जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. बाबूलाल पुत्र चुनाराम जाति हरीजन निवासी—सिसरवादा तह0 सोजत जिला पाली राज0।
2. तहसीलदार भूमिधारक सोजत

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:—

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

1. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री युगल किशोर अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

-: निर्णय :- दिनांक – [illegible]

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम सिसरवादा पटवार हल्का भैंसाणा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत रोड तहसील सोजत में स्थित प्रार्थी की अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 421 रकबा 1.4000 है0 में आवागमन हेतु 30 फुट चौडा रास्ता अप्रार्थी के खसरा नंबर 424 रकबा 0.0600 है0 में से प्राप्त करने का कानूनन् अधिकारी हैं। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा मुख्य सडक से निकटतम रास्ता प्रार्थीगण प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट ,के तहत पेश किया जा रहा है। उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम सिसरवादा तहसील सोजत मे स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 421 में आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी के खसरा नंबर 424 में से दिलाया जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने के आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री युगल किशोर ने वकालतनामा पेश किया। आज दिनांक तक जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से जबाब का अवसर समाप्त कर जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनों बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2024/1162 दिनांक 18.03.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0नि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 सोजत रोड, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि ख0नं0 421 के खातेदार रामचन्द्र पुत्र उदाराम, शिवलाल पुत्र उदाराम, सुरेश कुमार पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

हिम्मताराम वगैरा दर्ज है। उक्त खसरे मे जाने हेतु ख0नं0 424 में से रास्ता चाहा है। ख.नं. 421 के निकटतम रिकॉर्ड रास्ता ख.नं. '605 गै0मु0 रास्ता है। वर्तमान में दूसरा कोई भी वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रस्तावित रास्ता ख0नं0 424 में से रकबा क्रमशः 4 मी0 × 9 मी0 = 0.0036 है0 है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 1272026/– रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (1272026/– रू0 × 2 × 0.0036 है0 = 9158.59/– रूपये बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमे नजदीकी रास्ता ख0न0 424 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत सोजत रोड की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम सिसरवादा पटवार हल्का भैंसाणा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत रोड़ तहसील सोजत में स्थित प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 421 रकबा 1.4000 है0 में आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी के खसरा नंबर 424 रकबा 0.0600 है0 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र खाजिर किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पंत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 सोजत रोड़, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु

पंत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को

अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, तथा निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 424 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

–आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। कि सरहद मौजा ग्राम सिसरवादा पटवार हल्का भैंसाणा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत रोड तहसील सोजत में स्थित प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 421 रकबा 1.4000 है0 में आवागमन हेतु 15 फुट चौडा रास्ता अप्रार्थी के खसरा नंबर 424 रकबा 0.0600 है0 की कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि ख0न0 424 में से (1272026/– रू0 × 2 × 0.0036 है0 = 9158.59/– रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

क0सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	424 बा0अ0	0.06 है0	बाबूलाल पुत्र चुनाराम हिस्सा–पूर्ण जाति–हरिजन सा. देह खोतदार	4 मी0 × 9 मी0 = 0.0036 है0	9158.59 /–रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 07/08/2014 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत